**हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय**

अधिसूचना

शिमला–4, 25 अगस्त, 2011

**संख्या : वि0 स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–39/2011.–**हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय (निरसन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 18) जो आज दिनांक 25 अगस्त, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
**गोवर्धन सिंह,**
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

———————

**2011 का विधेयक संख्यांक 18**

# हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय (निरसन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 10) का निरसन करने के लिए **विधेयक ।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.–**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय (निरसन) अधिनियम, 2011 है।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.–**(1) हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय अधिनियम, 2010 (2011 का 10) का एतदद्वारा निरसन किया जाता हैः

परन्तु ऐसा निरसन–

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई;

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन पारित किसी डिक्री और जो अंतिम हो गई हो;

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किए गए निक्षेप के प्रतिदाय हेतु किसी दावे या दी गई किसी प्रतिभूति; या

(घ) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन लागत के निर्वहन में उपगत किसी व्यय को, प्रभावित नहीं करेगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन, निष्पादन कार्यवाहियों सहित समस्त दावे, अपीलें और अन्य कार्यवाहियां, जो किसी न्यायालय या अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं, इस प्रकार निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निपटाई जाएंगी, मानो यह अधिनियम निरसित न किया गया हो।

————————

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय अधिनियम, 2010 (2011का अधिनियम संख्यांक 10) को हिमाचल प्रदेश राज्य में सह–अंशधारियों और किराएदारों को अग्रक्रय के अधिकार का उपबन्ध करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।

उप रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाले राजस्व अधिकारियों ने विभिन्न बैठकों में यह अवगत करवाया है कि जनसाधारण को उपरोक्त अधिनियमिति के कारण विशेषकर उन मामलों में जहां बहुत से सह–अंशधारी हैं कठिनाई आ रही है और उन में से एक या कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों द्वारा अपनी भूमि का विक्रय करने के लिए वाध्य होते हैं। राजस्व अधिकारियों ने यह भी अवगत करवाया है कि यह अधिनियम न केवल इसमें निहित की प्राप्ति में असफल हुआ है, अपितु जनसाधारण के लिए समस्याएं उत्पन्न कर दी है। इस अधिनियम ने, राज्य के किसानों में बहुविध मुकदमेंबाजी की अधिसंभव्यता को बढ़ा दिया है। इसलिए, उपर्युक्त अधिनियम को निरसित करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उददेश्यों की पूर्ति के लिए है।

**(ठाकुर गुलाब सिंह)**
प्रभारी मन्त्री।

शिमलाः

तारीखः ..... 2011

———————

## वित्तीय ज्ञापन

———शून्य——

————————

## प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

——शून्य——

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 18 of 2011.**

# THE HIMACHAL PRADESH PRE-EMPTION (REPEAL) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to repeal the Himachal Pradesh Pre-emption Act, 2010 (Act No.10 of 2011).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.—**This Act may be called the Himachal Pradesh Pre-emption (Repeal) Act, 2011.

**2. Repeal and Savings.—**(1) The Himachal Pradesh Pre-emption Act, 2010 (10 of 2011) is hereby repealed:

Provided that such repeal shall not affect—

(a) anything done or any action taken under the Act so repealed;

(b) any decree which has been passed under the Act so repealed and has become final;

(c) any claim for the refund of the deposit made or a security furnished under the Act so repealed; or

(d) any expenditure incurred in the discharge of cost under the Act so repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all suits, appeals and other proceedings, including execution proceedings under the Act so repealed, pending before any court or appellate or revisional authority, shall be disposed off in accordance with the provisions of the Act so repealed, as if the Act has not been repealed.

———————

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Pre-emption Act, 2010 (Act No. 10 of 2011) was enacted with the objective to provide for right of pre-emption to the co-sharers and tenants in the State of Himachal Pradesh. In various meetings, the Revenue Officers exercising the powers of Sub-Registrars have apprised that the general public is facing hardships due to aforesaid enactment more particularly in those cases where there are numerous co-sharers and one or some of them are compelled by adverse circumstances to sell their land. The Revenue Officers have also apprised that this Act has failed to achieve the objective behind it, but has rather caused problems to general public. This Act has increased the probability of manifold litigations amongst farmers of the State. Thus, it has been decided to repeal the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(THAKUR GULAB SINGH)**

*Minister-in-Charge.*

SHIMLA:

The ……., 2011.

———————

## FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—